न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला

अनवान ....गोपी.... बनाम ....हरगोपाल आदि....

प्रकरण संख्या ....48..../ 2009 अन्तर्गत धारा....88, 188, 91....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
22.02.23	अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 3/3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। पर्ची डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्ची डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 48/2009

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गोपी पत्नी लाभ सिंह पुत्री भगत सिंह जाति लबाना सिख निवासी चक मोहलां हाल चक कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	1. हरगोपाल पुत्र भगत सिंह जाति लबाना सिख निवासी श्यामनगर श्रीगंगानगर। 2. हरनाम सिंह पुत्र भगत सिंह जाति लबाना सिख निवासी चक 12 एच मोहला तहसील श्रीकरणपुर। 3. सीतो बाई पत्नी भगत सिंह जाति लबाना सिख निवासी चक 12 एच मोहला तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 3/1.भजन सिंह पुत्र भगत सिंह जाति लबाना सिख निवासी टेलीफोन एक्सचेंज केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3/2. चरण सिंह पुत्र भगत सिंह जाति लबाना सिख निवासी पंजाब नेशनल बैंक रायसिंहनगर। 3/3. निरंजन सिंह पुत्र भगत सिंह जाति लबाना सिख निवासी चक 12 एच मोहला तहसील श्रीकरणपुर। 3/4. अमरजीत कौर उर्फ बेबी पुत्री भगत सिंह पत्नी सेवक सिंह जाति लबाना सिख निवासी चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 3/5. मनजीत कौर पुत्री भगत सिंह पत्नी करतार सिंह जाति लबाना सिख निवासी मकान नम्बर 20/334 कल्याणपुरी नई दिल्ली। 4. जसवीर सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. नरेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 08.06.2009

उपस्थित: 1.श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादिया
2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3/3
3.श्री गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3/4
4.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 व 5

--निर्णय-- दिनांक : 22.02.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया व उसके पिता भारत सिंह माता सीता बाई, हरगोपाल, हरनाम सिंह भाईयों को जीवों के आधार पर पुर्नवास विभाग श्रीगंगानगर द्वारा चक 3 आर में मुरब्बा नम्बर 13 के 12 बीघा 10 बिस्वा, किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, 14 ता 25 सालम-सालम व चक 5 यू के खाता संख्या 19/16 पुराना खाता संख्या 35/27 नया के [illegible] 34 के किला नम्बर 1 ता 12 सालम-सालम, किला नम्बर 13 के 10 [illegible] कुल [illegible] बीघा 10 बिस्वा भूमि आवटन की गई। जिसकी सनद [illegible]58 दिनांक [illegible]. 1972 को जारी की गई है। सनद के आधार पर तमाम [illegible] 24 दिनांक 16.12.1974 को दर्ज किया गया, जिनके आधार पर जमाबंदी स[illegible] 2037 में अमल दरामद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बेईमानी पूर्वक अपनी बहन गोपी का हक मारने की नियत से हल्का पटवारी एंव राजस्व विभाग से मिलीभगत करके [illegible] से चक 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2042 में गोपी का नाम दर्ज नहीं करवाया गया [illegible] वादिया को उसके हक से महरूम करने के उद्देश्य से जमाबन्दी में सिर्फ भारत

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:16 IST
Reason: SelfAttested

सिंह, सीतो बाई, हरगोपाल, हरनाम सिंह के नाम समस्त भूमि अंकित करवा ली व वादिया को उसके हक से वंचित कर दिया गया। वादिया के पिता भारत सिंह की वर्ष 1995 में मृत्यू हो गई थी। भारत सिंह के हिस्सा की भूमि वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 उतराधिकारी है। इस प्रकार वादिया चक 5 यू के 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि पाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 हरगोपाल ने चक 5 यू के खाता संख्या 33/27 के मुरब्बा नम्बर 34 में अपने हिस्सा की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान जरिए बैयनामा दिनांक 27.06.1998 को एंव प्रतिवादी संख्या 2 हरनाम सिंह ने अपने हिस्सा की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान जरिए बैयनामा दिनांक 04.07.1997 को बेचान कर चुके है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि में कोई कानूनन हक नहीं बनता है। वादिया को दिनांक 03.06.2009 को गांव से मालूम हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसके हिस्सा की भूमि को बेचान करने की फिराक में है। इस पर वादिया ने हलका पटवारी से अपनी कृषि भूमि की फर्द खाता व अन्य दस्तावेजात की नकले प्राप्त की तो वादिया को पता चला कि उक्त खाता में वादिया के नाम भूमि ही दर्ज नहीं है। जिस पर वादिया ने पटवारी हलका से इस बाबत पता किया तो पटवारी हलका ने कहा कि आप इस बाबत अपने भाईयों से पूछो तो वादिया ने अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कहा कि हमने आपका हक मारने की नियत से आपका नाम जमाबन्दी से हटवाया है। हम आपके हिस्सा की भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को सस्ते भावों में बेचान कर देंगे। हम तुम्हारे हिस्सा की भूमि से महरूम कर देंगे। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि चक 5 यू के खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 34 में शेष बची भूमि 1.897 हेक्टैयर भूमि जो वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 3 सीतो बाई की भूमि है। उसमें वादिया को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बहिस्सा बराबर की सहहिस्सेदार घोषित किया जावे व उसी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा के प्रस्तुत किया। जवाब दावा के अनुसार सही बात यह है कि अलाटी गोपी ने जब सनद जारी होनी थी तब पुर्नवास विभाग से मिलकर उस द्वारा स्वंय अपना हिस्सा तर्क कर दिया। इस कारण हिस्सा तर्क होने से चक 3 यू व 5 यू की सनद संख्या 9358 जारी हुई जो वादिया के पिता भगत सिंह, माता सीतो बाई, हरमनसिंह, हरगोपाल सिंह जिसे हरगुण भी कहते है के नाम जारी की गई। जिनका इन्तकाल संख्या 5 दिनांक 07.08.1975 को दर्ज हुआ जो सनद अनुसार दर्ज नहीं हुआ। लेकिन चक 3 आर की भूमि का इन्तकाल सनद अनुसार दर्ज नहीं हुआ। सिर्फ भगत सिंह अकेले के नाम का जारी हुआ, मुकदमा अनवान हरगुण सिंह बनाम हरनाम सिंह आदि मुकदमा नम्बर 122/2002 को दुरूस्त करवाया जा चुका है। भगत सिंह की मृत्यू के पश्चात भूमि चूकिं भगतसिंह के नाम दर्ज थी। इस कारण भूमि उसके समस्त वारिसान सीतो [illegible] दिखाकर जो नया इन्तकाल संख्या 155 दिनांक 13.05.1996 दर्ज हुआ। [illegible] व 1,2,3,4 के नाम दर्ज हुआ, जो गलत था। सीतो बाई व गोपी [illegible] थी। व भगत सिंह की भूमि में अन्य हिस्सेदारों का हिस्सा सिर्फ [illegible] लेने के अधिकारी थे ना कि सारी भूमि में से बहिस्सा बराबर [illegible] 155 दिनांक13.05.1996 को भी खारिज फरमाया गया। जितना हिस्सा सनद में अन्य खातेदारों का था वह रहा व सिर्फ भगत संह का हिस्सा मृत्यू उपरांत उनके वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिये था। इन्तकाल संख्या 155 भी पूर्व के दावा में निरस्त फरमाया गया। गोपी को उसके हक से वचिंत नहीं किया, बल्कि डीआरओ का इन्तकाल दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

करवाते समय के यहा चली कार्यवाही में उसने अपने हक का तर्क कर दिया था इस कारण उसके नाम भूमि दर्ज नहीं हुई। वादिया का किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं था ना ही कभी रहा, अब तो गोपी की मृत्यू हो चुकी है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वाद निरस्त फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यू के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/5 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 3/4 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली व प्रतिवादी संख्या 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3/3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवादावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादिया का हिस्सा हडपने की गर्ज से हलका पटवारी व राजस्व विभाग से मिलीभगत करके वादिया का नाम मौजूदा जमाबन्दी से हटा दिया और गलत तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। भारत सिंह की मृत्यू के उपरान्त केवल मात्र वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 वादाधीन खाता में शेष बची भूमि के हकदार नहीं है, बल्कि प्रतिवादी भी हकदार है। वादिया को वाद कारण हासिल नहीं होता है। लिहाजा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वाद वादिया अस्वीकार कर प्रतिवादी निरंजन सिंह का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए चक 5 यू के खाता संख्या 33/27 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 12 व 13 आधा कुल 3.162 हेक्टैयर नहरी रकबा में पंजीकृत वसीयत दिनांक 04.12.1989 की रूह से 1/3 हिस्सा यानि 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रकबा प्रतिवादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। वादिया अधिवक्ता द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे। पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या चक 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता65 के खाता संख्या 33/27 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.162 हेक्टैयर भूमि में 1.897 हेक्टैयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 सीतो बाई के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित होने की हकदार है?
-:जिम्मे वादिया:-
2. आया कि क्या वादिया इस वादगत भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?
-:जिम्मे वादिया:-
3. आया कि क्या वादिया पूर्व में चले प्रकरण संख्या 122/2002 अनवान हरगुण सिंह वनाम हरनाम सिंह ने पक्षकार होने पर भी कोई आपत्ति उस प्रकरण में पेश नहीं की इसलिए वादिया कोई हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है?
-:जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3:-
4. आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 3/3 वसीयत दिनांक 04.12.1989 की रूह से वादगत भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है?
-:जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3:-
5. अनुतोष।

अधिवक्ता वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 5 यू के इन्तकाल संख्या 24 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 चक 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2037 मुरब्बा नम्बर 34 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-3 चक 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2042 के खाता संख्या 18/16 के मुरब्बा नम्बर 34 की प्रति, प्रदर्श-4 चक 5 यू की जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:16 IST
Reason: SelfAttested

सम्वत 2062 ता 65 के खाता संख्या 33/27 के मुरब्बा नम्बर 34 की प्रति, स्वंय वादिया गोपी का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के समर्थन में स्वंय प्रतिवादी निरंजन सिंह का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया व प्रदर्श D-1 असल पंजीकृत वसीयत दिनांक 04.12.1989, प्रदर्श D-1 ए असल पंजीकृत वसीयत की छायाप्रति प्रदर्शित करवाए। जो सामिल मिसल है। जिरह वकील वादिया के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उन पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1 : आया कि क्या चक 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता65 के खाता संख्या 33/27 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.162 हेक्टैयर भूमि में 1.897 हेक्टैयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 सीतो बाई के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित होने की हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादिया की थी। चक 5 यू के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.162 हेक्टैयर यानि 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि जीवों के आधार पर भगत सिंह (स्वंय), सीतो बाई (पत्नी), हरनाम सिंह(पुत्र), हरगोपाल सिंह (पुत्र), गोपी(पुत्री), को आवंटन हुई थी। जिसकी सनद 9358 दिनांक 31.10.1972 जारी की गई। वादिया, प्रतिवादी संख्या 3 के साथ प्रत्येक 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादिया निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि क्या वादिया इस वादगत भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादिया की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादिया के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। वादिया चक 5 यू के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.162 हेक्टैयर में से 1/5 हिस्सा के सबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादिया निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया कि क्या वादिया पूर्व में चले प्रकरण संख्या 122/2002 अनवान हरगुण सिंह बनाम हरनाम सिंह ने पक्षकार होने पर भी कोई आपत्ति उस प्रकरण में पेश नहीं की इसलिए वादिया कोई हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की थी। चक 5 यू के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.162 हेक्टैयर यानि 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि जीवों के आधार पर भगत सिंह (स्वंय), सीतो बाई (पत्नी), हरनाम सिंह(पुत्र), हरगोपाल सिंह (पुत्र), गोपी(पुत्री), को आवंटन हुई थी। जिसकी सनद 9358 दिनांक 31.10.1972 जारी की गई। वादिया अपना हक प्राप्त करने की अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 हरगोपाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 हरनाम सिंह ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 जसवीर सिंह व प्रतिवादी संख्या 5 नरेन्द्र सिंह को जरिए पंजीकृत बैयनामा से बेचान कर दिया था। इसलिए उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। अतः यह तनकी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

तनकी संख्या 4 : आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 3/3 वसीयत दिनांक 04.12.1989 के आधार पर वादगत भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 3/3 की थी। भगत सिंह व सीतोबाई का उक्त भूमि में से 5 बीघा हिस्सा था। उक्त भूमि जीवों के आधार पर आंवटित हुई थी। इसलिए भूमि स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में आती थी। भगत सिंह पुत्र हजारा सिंह व सीतो बाई पत्नी भगत सिंह द्वारा 04.12.1989 को अपने हिस्सा 5 बीघा भूमि एक पंजीकृत वसीयत निरंजन सिंह, भजन सिंह, चरण सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर निष्पादित की गई है। प्रतिवादी संख्या 3/3 निरंजन सिंह पंजीकृत वसीयत दिनांक 04.12.1989 के आधार पर 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 3/3 निर्णीत की जाती है।

5.अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 3 बहक वादी तनकी संख्या 4 बहक प्रतिवादी संख्या 3/3 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादिया व प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/3 को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादी वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी संख्या 3/3 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 42/42 के मुरब्बा नम्बर 34 की 3.162 हेक्टैयर भूमि में से वादिया गोपी पुत्री भगत सिंह पत्नी लाभ सिंह को 0.6324 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3/1 भजन सिंह को 0.4216 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3/2 चरण सिंह को 0.4216 हेक्टैयर हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3/3 निरंजन सिंह को 0.4216 हेक्टैयर हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 4 जसवीर सिंह (0.632 है.) व प्रतिवादी संख्या 5 नरेन्द्र सिंह (0.633 है.) का हिस्सा बदस्तूर रहेगा तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादिया के कब्जा में स्वय दखल अंदाजी करने या किसी अन्य व्यक्ति से दखल अंदाजी करवा पाने से बाज व ममनू रहे तथा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से भी बाज व ममनू रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पर्चा डिक्री एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:16 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमा इस्तमरार

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
गोपी बनाम हरगोपाल सिंह

धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीए मुकदमा नम्बर 48/2009
निर्णय दिनांक :- 22.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह सरां, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह, श्री गुरदयाल सिंह मल्ली, श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी संख्या 3/3 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 42/42 के मुरब्बा नम्बर 34 की 3.162 हेक्टेयर भूमि में से वादिया गोपी पुत्री भगत सिंह पत्नी लाभ सिंह को 0.6324 हेक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3/1 भजन सिंह को 0.4216 हेक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3/2 चरण सिंह को 0.4216 हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3/3 निरंजन सिंह को 0.4216 हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 4 जसवीर सिंह (0.632 है.) व प्रतिवादी संख्या 5 नरेन्द्र सिंह (0.633 है.) का हिस्सा बदस्तूर रहेगा तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादिया के कब्जा में स्वय दखल अंदाजी करने या किसी अन्य व्यक्ति से दखल अंदाजी करवा पाने से बाज व ममनू रहे तथा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से भी बाज व ममनू रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 22.02.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	06	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	06	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 22.02.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/105
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:16 IST
Reason: SelfAttested